

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-212/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० रानी कुमारी, ट्यूटर (टेन्योर-BHS), पी०एस०एम० विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01 12 2015 के आलोक में दिनांक-10 10 2025 से 07 04 2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें राक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

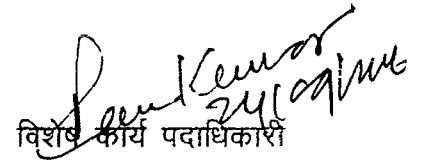
—सह—

संयुक्त सचिव

सं० सं० :-17/विविध - 01-212/2025-1263/17)

पटना, दिनांक :-24/09/2026

- प्रतिलिपि:- महालखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बैंकदा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- संबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- डॉ० रानी कुमारी, ट्यूटर (टेन्योर-BHS), पी०एस०एम० विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर/ग्राहमर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

—सह—

संयुक्त सचिव।